खंड १ संख्या ३४

बिहार विधान सभा वादवृत्त

मंगलवार, तिथि १ जुलाई, १९५२

Vol. I. No. 34

The Bihar Legislative Assembly Debates

Official Report

Tuesday, the 1st July, 1952.

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, बिहार,
रांची।
१९५३।

[मूल्य—६ आना।]
[Price—Annas 6.]

(२) चूंकि थाने के भार-साधक (इंचार्ज) अफसर अपने इलाके (क्षेत्राधिकार) के दूर-दूर के क्षेत्रों को ठीक से नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए राज्य भर के बहुत से अपराध-केन्द्रों में विशेष कार्रवाई के रूप में पुलिस-कॉटेज या पुलिस-शिविर खोल दिये गये हैं।

(३) क्रिमिनल ट्राइब्स ऐक्ट के उपबंधों के हटा दिये जाने के कारण अपराधी-जन-जातियों के दुष्ट अपराधियों की कार्रवाइयों को नियंत्रित करना पुलिस के लिए अधिक कठिन हो गया है। राज्य-सरकार ने एक हैबीचुअल ऑफेन्डर्स एक्ट बनाने का निश्चय किया है।

(४) अपराध-निरोधक-कार्य, जो पुलिस के निर्वाचन-कार्यों में व्यस्त रहने के समय शिथिल हो गया था, जोर-शोर से शुरू कर दिया गया है।

निर्वाचन के अवसर पर व्यय।

३। श्री जयनारायण झा 'विनीत'—क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) निर्वाचन-सूची की तैयारी के समय से विगत सामान्य-निर्वाचन तक निर्वाचन में बिहार सरकार का कुल व्यय कितना है, और इसमें केन्द्रीय-सरकार ने बिहार-सरकार को कितना दिया है;

(ख) कितने सरकारी नौकर इसमें नियोजित थे, सामान्य निर्वाचन के संचालन में उन लोगों को कितना समय देना पड़ा था;

(ग) किन-किन स्थानों में अगड़े हुए और उनके परिणाम क्या हुए?

माननीय डा० श्री कृष्ण सिंह—(क) १९४८ से १९५२ तक सामान्य निर्वाचन पर कुल व्यय १,००,३५,०४६ रु० ५ आ० ११ पाई है। जिसमें ५०,१७,५२३ रु० ३ आना भारत-सरकार से वसूल किया जाना है। अब तक राज्य सरकार को ३१,२७,८०० रु० मिला है।

(ख) सामान्य निर्वाचन में नियोजित अध्यासीन (प्रेजाइडिंग) तथा मतदान (पोलिंग) पदाधिकारियों की कुल संख्या १६,५०० थी। इसके अतिरिक्त, दिसम्बर, १९५१ से जनवरी, १९५२ तक जिला एवं सबडिवीजनल अफसरों के कार्यालयों के लगभग सम्पूर्ण कर्मचारीवृन्द इसमें लगे थे।

(ग) राज्य भर में कहीं भी भारी दंगा नहीं हुआ।

जिला-दंडाधिकारियों मजिस्ट्रेटों ने यह प्रतिवेदित किया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा १४७ तथा उससे सम्बद्ध धाराओं के अधीन सात मामले हुए, जो वस्तुतः दंगे के मामले माने जा सकते हैं।

(१) मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत बिसुनपुर थाना सदर के मनिका ग्राम में १९ जनवरी १९५२ को कांग्रेसी और समाजवादी कर्मचारियों के बीच एक झगड़ा हुआ, जिसमें तीन आहत हुए, और उनमें एक तो बुरी तरह। धारा १४७ के अधीन मामला चलाया गया।

(२) मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत रानीसैदपुर थाने के मोरसन्ड ग्राम में १५ जनवरी, १९५२ को किसी स्वतंत्र उम्मीदवार के मतदान अभिकर्त्ता (पोलिंग एजेन्ट) पर किसी ने आक्रमण किया, जिसमें उन्हें थोड़ी बहुत चोट लगी थी। आई० पी० सी० की धारा १४७/३२३ के अधीन एक मामला चलाया गया।

(३) सारन जिलान्तर्गत छपरा मुफस्सिल थाने के धूपनगर ग्राम में ५ जनवरी, १९५२ को कांग्रेस और समाजवादी दल के कुछ कर्मचारियों के बीच एक झगड़ा हुआ जिनमें एक समाजवादी कर्मचारी के साथ मत देने के लिये आने वाले कुछ मुशहर मतदाता रोक लिए गये थे। आई० पी० सी० की धारा १४७ के अधीन एक मामला चलाया गया।

(४) सारन जिलान्तर्गत बनियापुर थाने के पुछरी ग्राम में १० जनवरी १९५२ को एक स्वतंत्र उम्मीदवार के समर्थकों और कांग्रेसी उम्मीदवार के समर्थकों के बीच एक झगड़ा हुआ था जिसमें स्वतंत्र उम्मीदवार के कुछ समर्थकों को कुछ चोट आई थी। आई० पी० सी० की धारा १४८ के अधीन एक मामला चलाया गया।

(५) उसी दिन उसी ग्राम में उन्हीं दोनों उम्मीदवारों के समर्थकों ने अवैध जमाव किया, और मारपीट की नौबत आ गयी। दंड-प्रक्रिया-संहिता, सी० आर० पी० सी० की धारा १४४ के अधीन कार्रवाई की गयी।

(६) सारन जिलान्तर्गत रघुनाथपुर थाने के हरपुर ग्राम में १८ जनवरी १९५२ को १८ समाजवादियों ने घातक हथियारों से लैस होकर एक अवैध जमाव किया, ढेले फेंके तथा दंगे किये। आई० पी० सी० की धारा १४८/३३६ के अधीन एक मामला चलाया गया।

(७) उसी ग्राम में १८ जनवरी १९५२ को सूरत चमार के मत पर एक दंगा उठ खड़ा हुआ।

इन सातों मामलों में से किसी में भी जान-माल की क्षति नहीं हुई।